<u>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</u>

<u>अपील संख्या – 1185/2009/जयपुर</u>

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–द्वितीय, जयपुर । .....अपीलार्थी.

बनाम्

मै0 राजकुमार विशनदास, 28–29, एम.जी.डी.मार्केट,
जयपुर ।

.....प्रत्यर्थी.

<u>एकलपीठ</u>

<u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u>

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक । ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन, अभिभाषक

.........प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :04.02.2014

<u>निर्णय</u>

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 07.07.2001 को किया गया । वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर श्री राजकुमार, मैनेजर उपस्थित मिले जिन्होनें बयान किया कि उनके द्वारा सेनेटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर फिटिंग्स, एल्येमीनियम सेक्शन्स एवम् एल्यूमीनियम फिटिंग्स तथा फर्नीचर एवम् लकड़ी के सामान की खरीद एवम् बिक्री का व्यवसाय किया जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर पाये गये 23 कार्टन **<u>"हार्डवेयर गुड्स"</u>** की खरीद के संबंध में क्रय बिल्स चाहने बाबत् श्री राजकुमार द्वारा **<u>"हार्डवेयर गुड्स"</u>** का खरीद बिल से सत्यापन करवाने में असमर्थता जाहिर की। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मौके पर उक्त माल की फर्द तैयार की गयी ।अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा कुल माल **<u>₹3,16,000/–</u>** के माल की खरीद बिलों की प्रस्तुति के अभाव में तथा उक्त का जमा खर्च नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने पर, अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 77(8) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में मैनेजर श्री राजकुमार ने लिखित जवाब प्रस्तुत

कर, अपनी गलती स्वीकार कर, प्रकरण का निस्तारण, शास्ति लेकर मौके पर जवाब प्रस्तुत करने की तिथि को ही करने का निवेदन किया। फलस्वरूप, प्रस्तुत जवाब को अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 77(8) के तहत् शास्ति रू0 94,800/— आरोपित की गयी। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2006 को अपील का निष्पादन करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गयी । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2006 के विरूद्ध के प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उक्त अपील का निष्पादन दिनांक 23.1.2008 को किया जाकर अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा प्रतिप्रेषित निर्णय दिनांक 23.01.2008 की पालना में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण का निष्पादन दिनांक 21.05.2009 को किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 94,800/—अपास्त की जाकर अपील स्वीकार की गई । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील का निष्पादन एकपक्षीय करते हुए निर्णय दिनांक 10.05.2011 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुर्नस्थापित करते हुए अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार कर ली।

कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 10.05.2011 के विरूद्ध प्रत्यथी व्यवहारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्याालय में एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 278/2011 दायर की,जिसमें यह आक्षेप लगाया गया कि एकलपीठ के पीठासीन अधिकारी ने पूर्व इसी प्रकरण का निस्तारण अपीलीय अधिकारी के पद पर रहते हुए दिनांक 31.10.2006 को किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकरण मोहम्मद यूनुस खान बनाम स्टेट आफ यू.पी.एवं अदर्स (2010) 10 एस सी सी 539) को उद्धृत करते हुए कि **"no person should adjudicate a dispute which he or she has dealt with in any capacity as the failure to observe this principle creates an apprehension of bias" on the part of the party to a dispute."** के आधार पर एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 278/2011 का निस्तारण निर्णय दिनांक 25.11.2011 को करते हुए रिट पिटीशन स्वीकार कर कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये कि

श्री एच.एल.पाण्डे,सदस्य के अतिरिक्त कर बोर्ड गुणावगुण पर सुनवाई करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2011 की पालना में प्रकरण की सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है क्योंकि व्यवसाय मैनेजर श्री राजकुमार द्वारा नोटिस में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर, शास्ति अदा करने की पेशकश की गयी है, जो रिकॉर्ड पत्रावली के पेज क्रमांक 6 पर मौजूद है । अतः अपराध स्वीकारोक्ति के कारण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 5 आर.टी.जे.एस 60 मै0 राजा ग्लास हाऊस व 25 टैक्स अपडेट 20 मै0 राजेन्द्र इलैक्ट्रीकल्स के न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपराध की स्वीकारोक्ति के कारण, माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण में लागू करने की प्रार्थना की गयी तथा विद्वान अपीलीय अधिकारी का निर्णय अविधिक एवम् अनुचित होने के कारण, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओकर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने करापवचंन की मंशा प्रमाणित किये बिना एवं कोई जांच किये बिना मात्र शास्ति आरोपण के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 77(8) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है,जो अविधिक है। उन्होंने कथन किया कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 50 की पालना नही गयी है, क्योंकि सर्वेक्षण के समय माल का भौतिक सत्यापन किये जाने पर दो स्वतत्र गवाहों का मौजूद होना आवश्यक है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने मनमर्जी से सर्वेक्षण के दौरान कार्यवाही सरसरी तौर पर स्वेच्छाचारित तरीके से की गयी है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 256 मैसर्स डायमण्ड मार्केटिंग एजेन्सी,जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम,वृत–द्वितीय जयपुर को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुंनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 7.7.2001 को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 07.07.2001 के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म पर रू. 3,16,000/–माल का लेखा पुस्तकों एवं खरीद बिल से सत्यापित नहीं हो सका,

इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 77(8) के अन्तर्गत शास्ति रू.94,800/–आरोपित की है।

उक्त तथ्यों के निस्तारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के दौरान अघोषित पाये गये माल की फर्द तैयार की है, जो शास्ति पत्रावली के पेज संख्या 5 पर उपलब्ध है,जिस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु नियम 50 को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :–

50. Procedure for search and seizure under section 77. (1) The officer who carries out a search under section 77, shall adopt the following procedure,-

(a)The officer should record reasons as to why under the facts and circumstances of the case, search is necessary.

(b) Before making a search, such officer shall call upon two witnesses to attend and witness the search and may issue an order in writing to them to do so.

(c)The dealer or the person incharge of the business place, building or other premises searched, shall be permitted to witness the search.

(d) If any building or place is an apartment in the actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the officer shall afford her every reasonable facility to withdraw.

(e)Search of person may be made, but in case of a woman it shall be carried out by a woman.

(f) A list of goods, articles asnd documednts seized in the course of the search and of the places ibn which they were found shasll be prepared by such officer and shall be signed by the witnesses. A copy of such list be tendered to the dealer or the poerson concerned and as copy thereof shall be forwarded to the Commissioner within twentyfour hours after the completion of such search."

प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण पाये गये अघोषित माल की फर्द तैयार कर उस

पर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है,जिससे उनके नियम 50 की पालना नहीं की गई है। नियम 50 की अनुपालना के अभाव में उनके आदेश पारित आदेश दिनांक 7.07.2001 को विधिक नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि सर्च एवं सीजर के अतिरिक्त निरीखण एवं सर्वे के दौरान भी राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 50 की पालना किया जाना आवश्यक माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त नियम की अनदेखी करके कार्यवाही किया सम्पन्न कर अधिनियम की धारा 77 (8) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्ण रूप से अविधिक है। इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 256 मैसर्स डायमण्ड मार्केटिंग एजेन्सी,जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन– प्रथम, वृत–द्वितीय जयपुर में प्रतिपादित किंया है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 1185/2009 अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य